न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी महेश कुमार पुत्र शिवकुमार शर्मा **बनाम** ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल कोली वगै. नि0 मित्रपुरा
किस्म प्रकरण– मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 117/2021
जीसीएमएस संख्या 2021/318

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं/ता अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
04.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुने अधिक समय हो जाने के कारण बहस वकील उभय पक्ष पुनः सुनी गयी । दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि श्रीमान के न्यायालय मे मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का दिनांक 23.12.2021 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1974 के पृष्ठ संख्या 50 के अनुसार तहसीलदार बौंली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2021 को खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार बौंली द्वारा दिनांक 23.12.2021 को पारित निर्णय कि कियान्वति श्रीमान के आदेश दिनांक 6.1.2022 से अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी गयी थी तथा उक्त निर्णय के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे अपील जैरकार है जिसमे उक्त निर्णय की वैधानिकता की जॉच माननीय न्यायालय द्वारा की जावेगी। चूंकि अब इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार नही होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्राार्थना पत्र Infectious हो चुका है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infectious हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। जहॉ तक सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1974 के पृष्ठ संख्या 50 का प्रश्न है तो तहसीलदार बौंली के निर्णय दिनांक 23.12.2021 की अपील वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय सवाई माधोपुर मे विचाराधीन है जिसमे उक्त निर्णय की वैद्यानिकता की जॉच की जाकर निर्णय पारित किया जावेगा। इसलिए उक्त [illegible] प्रकरण मे चस्पा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प[illegible]ली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद [illegible] दाखिल अ[illegible] की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.08 17:49:59 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner